Conference where we will again discuss it. Even if there is no consensus we will try to discuss it in the Cabinet and we will try to go in for the amendment of the Electricity (Supply) Act. I do feel that we will not be able to achieve the desired result unless there is a consensus among the States. If we only impose certain things, I do feel, they will not have the desired results. He said about mini hydel projects in the Rajasthan canal. Kindly send me the papers. If it is technically feasible, certainly, it will be done; there is no question why it cannot be done or it should not be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Send them to the Minister immediately, by the next available post.

AN HON. MEMBER: He will not get it in time due to postal delay.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. We go to the next item.

---

14. 55 hrs.

PETITION *RE*. WORKING OF VARIOUS RESEARCH COUNCILS OF INDIAN MEDICINES, ETC.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): I beg to present a petition signed by Dr. Y. K. Tripathi and others regarding working of various Research Councils of Indian Medicines and National Institute of Ayurveda, Jaipur, merger of various Research Councils into one integrated council, elections to the Central Council of Indian Medicine, enactment of a Central Act and improvement in the system of education in Indian medicine, etc.

14.56 hrs.

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): On behalf of Shri Pranab Kumar Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Contingency Fund of India Act, 1950.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Sir, it is only an amendment with one clause which pertains to making a provision for framing the rule and laying it on the Table of the House. May I request the hon. Minister as to whether he can make available the draft rules so that we can participate in the debate when the discussion on this takes place?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is only an introduction of the Bill. Before the discussion takes place, the hon. Minister would give the draft rules. Now, the question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contingency Fund of India Act, 1950."

The motion was adopted.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, I introduce† the Bill.

14.57 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR OVERBRIDGE AT JAUNPUR RAILWAY STATION IN U.P.

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : मि० डिप्टी स्पीकर, रूल 377 के तहत मैं आप के जरिए रेलवे मिनिस्टर की तवज्जह अपनी कांस्टीटुएन्सी जौनपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ दिलाते हुए अर्ज करूंगा कि

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 19-7-1982.

†Introduced with the recommendation of the President.

[डा० ए० यू० आजमी]

जौनपुर रेलवे जंक्शन पर कुल चार प्लेटफार्म हैं। प्लेटफार्म 2, 3 और 4 पर जाने के लिए सुरंग है, जैसा कि और स्टेशनों पर ठेले पर सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह सुरंग गन्दगी और सीलन की वजह से यूं भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत खराब होने की वजह से ज्यादा देर अंधेरा रहता है। इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चोर, डाकू और गंडे इस से गुजरने वाले लोगों का सामान छीन लेते हैं और खास तौर पर लड़कियों और औरतों का सामान छीन कर उन्हें बेइज्जत भी करते हैं, जिस की वजह से आम तौर पर लोग और खास तौर पर लड़कियां, औरतें और बूढ़े इस सुरंग से गुजरते हुए अपने को गैर-महफ़ूज समझते हैं। जौनपुर जंक्शन के पहले और बाद में जफराबाद और शाहगंज रेलवे स्टेशन हैं। उन पर प्लेटफार्म भी कम हैं, फिर भी इन स्टेशनों पर ओवर-हैड-ब्रिज बना कर आने जाने की आसाना मुहैय्या की गई है। यह बहुत अच्छी बात है।

इस लिए इन बयानकर्दा हालात और सच्चाई की रोशनी में मैं मतालबा करता हूं कि जौनपुर जंक्शन पर ओवरहेड ब्रिज बना कर मुसाफ़िरों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आने और जाने का महफ़ूज रास्ता फरहाम किया जाए।

(ii) NEED FOR INSTALLING A RADIO STATION IN BORDER DISTRICTS OF BARMER AND JAISALMER IN RAJASTHAN.

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा देश में उच्च शक्ति वाले ट्रान्समीटर महत्वपूर्ण नगरों एवं शहरों में न लगाने के कारण देश के 20 प्रतिशत भाग रेडियो प्रसारण की सुविधा से बिल्कुल बंचित रहते हैं। ये अधिकांश भाग सीमावर्ती क्षेत्र में आये हुए हैं। मिजोरम, लेह, यू0पी0 का सीमावर्ती क्षेत्र जो कि चीन और नेपाल की सीमा पर आए हैं, बाड़मेर एवं जेसलमेर जिलों का 60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो किजपाकिस्तान की सीमा पर आये हुए हैं, के अधिकांश भाग रेडियो सुविधाओं से बंचित हैं।

बाड़मेर, एवं जेसलमेर में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के बारे में चौथी एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्ताव था परन्तु वित्तीय कठिनाई का सहारा ले कर उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना सन् 1980–81 5 के प्रस्तावों को तैयार करते समय उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु संसाधनों की कमी का कारण बता कर उक्त प्रस्ताव को छोड़ दिया।

सूचना एवं प्रसरण विभाग रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता नहीं देता। विभाग को यह भली-भांति जानकारी है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यह भी जानकारी है कि पाकिस्तान और चीन का क्षेत्र जो कि इन क्षेत्रों से बिल्कुल लगा हुआ है, में रेडियो स्टेशन बड़ी शक्ति के हैं, जिनकी बुलन्द आवाज़ बाड़मेर, जैसलमेर लेह, मिजोरम एवं यू0 पी0 के सीमावर्ती क्षेत्रों में जोरों से पहुंचती है परन्तु विभाग वास्तविकता की ओर आखें मूदे हुए है और संसाधनों की कमी का कारण बताकर सही निर्णय नहीं ले रहा है।